महत्वपूर्ण निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, डी.के.एस.भवन
रायपुर (छ.ग.)

कमांक 1—11……/2012/वाक/पांच रायपुर, दिनांक 25/05/12

प्रति,

अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त)
उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त)
सहायक आयुक्त, वाणिज्यिककर (समस्त)
वाणिज्यिककर अधिकारी (समस्त)
छत्तीसगढ़

विषय :— केन्द्रीय विकयकर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले एफ फार्म के दुरूपयोग को रोकने बाबत।

—00—

केन्द्रीय विकयकर नियम, 1957 के नियम 8 में 'सी' फार्म तथा 'एफ' फार्म जारी किए जाने के संबंध में प्रावधान है। इन प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिककर कार्यालय से 'एफ' फार्म प्राप्त करने वाले पंजीयत व्यवसायी को प्रारूप VII-B में रजिस्टर रखना अनिवार्य है। इसका यह उद्वेश्य है कि व्यवसायी द्वारा उपयोग में लाए गए 'एफ' फार्म की वस्तु—स्थिति ज्ञात हो सके तथा व्यवसायी की मांग पर दुबारा 'एफ' फार्म जारी करने के पूर्व यह देख लिया जाए कि उसे पूर्व में प्रदाय किए गए 'एफ' फार्म के विरूद्ध कितना माल प्राप्त किया गया है। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणपत्रो के मिलान से यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि व्यवसायी द्वारा जारी किए गए 'एफ' फार्म के अनुपात में विवरणपत्रो में विकय दर्शाया गया है या नही तथा देयकर जमा किया गया है या नही?

2. प्रदेश में पंजीकृत व्यवसाईयों द्वारा अन्य प्रान्तों से सी फार्म तथा एफ फार्म के आधार पर माल आयात किया जाता है। हाल ही में की गई जांच में कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें व्यवसाईयों द्वारा एफ फार्म पर करोड़ो रूपये का माल स्टाक ट्रांसफर के रूप में प्राप्त किया गया है। लेकिन विवरणपत्र मे उक्त माल का विकय नही दर्शाया गया है और न ही कर जमा किया गया है। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संलग्न है। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि इन व्यवसाईयों द्वारा वृत्त कार्यालय से अनेको बार एफ फार्म प्राप्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिककर अधिकारी द्वारा 'एफ' फार्म जारी करते समय पूर्व में उपयोग में लाये गये 'एफ' फार्म पर प्राप्त माल के मूल्य का विवरणपत्र में दर्शाये गये विकय एवं जमा कर से मिलान नही किया गया है।

3. <u>अतः तत्काल निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–</u>

(i) संलग्न सूची में दर्शाये गये व्यवसाईयों के 31.3.2011 तक लम्बित प्रकरणों में 30 जून, 2012 तक अनिवार्यतः कर निर्धारण की कार्यवाही की जाकर 31 जुलाई, 2012 तक वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ii) वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में व्यवसाईयों को जारी एफ फार्म के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार सूक्ष्म परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि जारी एफ फार्म के अनुरूप विवरणपत्रो में विकय दर्शाया गया है या नही। जिन प्रकरणों में विसंगति पायी जाती है, उनमें 30 जून, 2012 तक नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाये।

(iii) भविष्य में 'एफ' फार्म जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पूर्व में जारी 'एफ' फार्म में दर्शाये मूल्य के आधार पर व्यवसायी द्वारा विवरणपत्रों में देयकर जमा किया गया है या नही। गत वर्ष जिन व्यवसाईयों को बड़ी मात्रा में 'एफ' फार्म जारी किए गए हैं उनके द्वारा उपयोग में लाए गए 'एफ' फार्म का विवरणपत्रो में दर्शाये गये विकय तथा जमा कर से मिलान वाणिज्यिककर अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाए। यदि विवरणपत्रो में विकय कम दर्शाया गया हो तो नियमानुसार वसूली एवं कर निर्धारण की कार्यवाही तत्काल की जाए।

4. दिनांक 1 जुलाई, 2012 तक सभी संभागीय उपायुक्तों द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डी.एस.मिश्र)
प्रमुख सचिव,
वाणिज्यिक कर विभाग,
रायपुर

(2)

महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक : 141 / प्र.स. / वा.कर / 2012 रायपुर, दिनांक : 18 / 09 / 2012

प्रति,

आयुक्त,
वाणिज्यिक कर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र में दर्ज की जाने वाली वस्तुएं।

———

राज्य शासन के ध्यान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में प्लाण्ट एवं मशीनरी के रूप में एयरकूलर, एयर कंडीशनर, सेनेटरी फिटिंग, जी.आई. सीट, एसबेस्टास सीट, स्टॉफ कैमरा, कम्प्यूटर, लेपटॉप, आफिस इक्यूपमेंट, वाहन ट्रक, ट्रॉली, वॉटर कूलर, वाशरूम फिटिंग तथा फिक्चर आदि वस्तुएं दर्ज है, जो कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस आधार पर डीलरों द्वारा ''सी'' फार्म के आधार पर प्रांत बाहर से यह सामग्री क्रय की गई है। इसके फलस्वरूप राज्य शासन को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जाती है।

2. केन्द्रीय विकयकर अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधानों के अनुसार धारा 8(1) के अंतर्गत रियायती दर से कय करने के लिए निम्न प्रयोजन हेतु वस्तुओं को पंजीयन प्रमाणपत्र में दर्ज किया जा सकता है :—

(i) पुर्नविक्रय के लिए,
(ii) विक्रयार्थ वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग हेतु,
(iii) माइनिंग में उपयोग हेतु,
(iv) विद्युत या अन्य किसी प्रकार के ऊर्जाशक्ति के जनरेशन तथा वितरण हेतु,
(v) टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में उपयोग के लिए,
(vi) पैकिंग मटेरियल,

3. केन्द्रीय विक्रयकर (रजिस्ट्रेशन तथा टर्नओव्हर) नियम, 1957 के नियम 13 में यह प्रावधान है कि पंजीयत व्यवसायी उपर्युक्त प्रयोजन में उपयोग हेतु निम्न वस्तुओं को क्रय कर सकता है :—

(i) कच्चा माल,
(ii) प्रोसेसिंग मटेरियल,
(iii) मशीनरी,

(3)

(iv) प्लाण्ट,
(v) इक्यूपमेंट एवं टूल्स
(vi) स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, तथा ऐसेसरीज
(vii) ऐसेसरीज,
(viii) फ्यूल्स या लुब्रीकेन्ट

4. केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र में किन वस्तुओं को दर्ज किया जा सकता है, इसके संबंध में J.K.Cotton Spining and Weaving Mills Co. Ltd. Vs. STO, Kanpur 1965 (16) STC 563 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस निर्णय अनुसार "बिल्डिंग", प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्गत नही आती है। अतः "प्लाण्ट" के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले बिल्डिंग मटेरियल को भी "सी" फार्म पर क्रय नहीं किया जा सकता।

5. अतः केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में वस्तुओं को दर्ज करते समय अधिनियम एवं नियम के प्रावधान को ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ–साथ प्रचलित पंजीयन प्रमाण पत्र, जिनमें त्रुटिवश ऐसी वस्तुओं को दर्ज किया गया है, का परीक्षण किया जाकर नियमानुसार विलोपित करने की कार्यवाही की जाए।

6. उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाए।

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
वाणिज्यिक कर विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक : /प्र.स./वा.कर/2012 रायपुर, दिनांक : 18/09/2012

प्रतिलिपि :–

संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त), छत्तीसगढ़ की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
वाणिज्यिक कर विभाग

महत्वपूर्ण निर्देश

कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, रायपुर

क्रमांक वाकआ/12/प्रवर्तन/2012/ 6012 रायपुर, दिनांक 06-12-2012

प्रति,

संभागीय उपायुक्त (समस्त)
सहायक आयुक्त (समस्त)
वाणिज्यिककर अधिकारी (समस्त)
छत्तीसगढ़

विषय :— केन्द्रीय विकयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पश्चातवर्ती विकय दर्शाने वाले व्यवसाईयों को "सी" फार्म जारी करने बाबत।

—00—

केंद्रीय विकयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पश्चातवर्ती विकय दर्शाने वाले व्यवसाईयों की समीक्षा में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है, जिसमें व्यवसाई द्वारा 100 करोड़ रूपये से अधिक का विकय केन्द्रीय विकयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पश्चातवर्ती विकय दर्शाकर विवरणपत्रो में छूट का दावा प्रस्तुत किया गया है किन्तु विकय के समर्थन में उनके द्वारा नियमानुसार ई–1 तथा सी फार्म प्रस्तुत नही किए गए हैं।

2. केंद्रीय विकयकर नियम, 1957 के नियम 12 के उप–नियम 7 के अनुसार ई–1 तथा सी फार्म घोषणापत्र विहित प्राधिकारी (वाणिज्यिककर अधिकारी) के समक्ष 3 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण में व्यवसाई द्वारा गत् 2 वर्षो में कोई भी ई–1 तथा सी फार्म प्रस्तुत नही किया गया है। व्यवसाई को सूचनापत्र जारी करने के उपरांत भी उनके द्वारा सी फार्म प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय विकयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पश्चातवर्ती विकय दर्शाये जाने वाले प्रकरणों में भविष्य में ई–1/सी फार्म प्रस्तुत नही होने के कारण काफी बड़ी मात्रा में कर–अपवंचन हो सकता है। यह स्थिति अन्य प्रकरणों में भी हो सकती है।

3. अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :—

(i) धारा 6(2) के अंतर्गत पश्चातवर्ती विकय दर्शाने वाले व्यवसाईयों को उनके द्वारा कय किए जाने वाले माल के विरूद्ध सी फार्म जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके द्वारा किए जाने वाले विकय के सबंध में समुचित सी फार्म नियमानुसार प्रस्तुत किए गए हैं अथवा नही तथा ऐसे व्यवसाईयों को सूचनापत्र जारी कर ई–1 तथा सी फार्म प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाए। ई–1 तथा सी फार्म प्रस्तुत नही करने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर कर निर्धारण हेतु प्रकरण आबंटित किया जाए।

(ii) जिन व्यवसाईयों द्वारा वर्ष 2011–12 तक की अवधि से संबंधित पश्चातवर्ती विकय के संबंध में ई–1 तथा सी फार्म प्रस्तुत नही किए गए हैं, उन्हें नियमानुसार ई–1 तथा सी फार्म प्रस्तुत करने या अप्रस्तुत घोषणापत्र के संबंध में अंतर की कर राशि जमा करने के पश्चात ही सी फार्म जारी किए जाए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(जी.एस.मिश्रा)
आयुक्त,
वाणिज्यिककर, रायपुर
06-12-12